



1. प्रदीप विश्रोई पुत्र पेमाराम विश्रोई, उम्र 40 वर्ष, निवासी विश्रोईयों की ढाणी, भाखरीवाला, पुलिस थाना रोहट, जिला पाली (राजस्थान)

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य

..... अप्रार्थी

उपस्थित:-

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से - श्री महावीर विश्रोई, अधिवक्ता
2. राजस्थान राज्य की ओर से - श्री अनिल गौड़, विशिष्ट अपर लोक अभियोजक

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

(A) Case Details :-

FIR Number & Date	27/23.01.2026
Police Station, District and State	कोतवाली, जिला नागौर, राजस्थान
Section invoked	8/21 NDPS Act
Maximum punishment prescribed	कठोर कारावास बीस वर्ष

(B) Custody & Procedural Compliance:-

Date of Arrest	03.02.2026
Total period of custody undergone	01 Months 11 Days

(C) Status of trial:-

Stage of Proceedings (Investigation/Charge sheet/Cognizance/Framing of charges/Trial)	Investigation
Total number of witnesses cited in the charge sheet	Nil
Number of prosecution witnesses examined	Nil

(D) Criminal Antecedents:-

क्र. सं.	मुकदमा नंबर मय दिनांक	पुलिस थाना	धारा	नतीजा पुलिस	स्थिति
1.	133/15.08.2016	लूणी, जोधपुर	8/15 NDPS Act व 408, 471 IPC	CS No. 18/09.03.2017	जैर-ट्रायल
2.	190/11.10.2016	बोरानाडा, जोधपुर	8/18, 27 ए, 28, 29 NDPS Act व 467, 468, 471, 120 बी IPC	CS No. 01/03.01.2017	जैर-ट्रायल
3.	162/09.10.2016	लूणी, जोधपुर	8/15, 29 NDPS Act व 468, 471 IPC	CS No. 134/05.12.2016	जैर-ट्रायल
4.	42/01.10.2017	बाखासर	8/15, 29 NDPS Act व 411 IPC	CS No. 30/28.09.2018	जैर-ट्रायल
5.	344/30.12.2020	रोहट, पाली	353, 332, 307/34 IPC	CS No. 38/31.03.2021	जैर-ट्रायल

क्र. सं.	मुकदमा नंबर मय दिनांक	पुलिस थाना	धारा	नतीजा पुलिस	स्थिति
6.	690/26.11.2022	सुमेरपुर, पाली	8/20, 8/18, 8/21 NDPS Act	-	जैर-ट्रायल
7.	198/21.05.2022	पिण्डवाडा	8/22, 29 NDPS Act	244/15.11.2022	जैर-ट्रायल
8.	20/18.01.2018	निम्बाहेड़ा सदर, चित्तौड़गढ़	8/15, 25, 29 NDPS Act	-	जैर-ट्रायल
9.	97/01.06.2024	विवेक विहार, पश्चिम	8/21 NDPS Act	-	जैर-ट्रायल
10.	107/27.05.2024	आहोर, जालोर	8/22, 29 NDPS Act	-	जैर-ट्रायल
11.	59/25.03.2025	रोहट, पाली	8/21, 25 NDPS Act	CS No. 72/02.06.2025	जैर-ट्रायल
12.	248/2023	विवेक विहार, जोधपुर पश्चिम	8/21 NDPS Act	-	जैर-ट्रायल
13.	19/2026	गोटन, नागौर	8/29 NDPS Act	-	जैर-ट्रायल

(E) Previous Bail Applications :-

Court	Nil
Case No.	Nil
Outcome of Case	Nil

(F)

- Whether any Non-Bailable Warrant was issued :- Nill
- Whether declared a proclaimed offender :- Nill

आदेश

दिनांक 13.03.2026

- प्रार्थी/अभियुक्त प्रदीप विश्वा की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 27/2026, पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर में प्रस्तुत किया गया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। नकल विशिष्ट अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। उभय पक्षों की बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।
- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.01.2026 को समय 01:00 पीएम पर स्थान सरहद मौजा नागौर में ताराचन्द का रहवासी मकान, बेजला कुआं, नागौर में पुलिस थाना कोतवाली, नागौर के थानाप्रभारी राजेन्द्र सिंह, उपनिरीक्षक ने मय जाप्ता के अभियुक्त आशाराम गहलोत उर्फ आशीष उर्फ आशुतोष के कमरे में रखी लकड़ी की अलमारी को खोलकर चैक किया तो अलमारी के ऊपर रैक में एक काले रंग की प्लास्टिक की थैली मिली, जिस थैली के अन्दर दो प्लास्टिक की पारदर्शी थैलियों में, थैलियों सहित कुल वजन 142.08 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए बरामद हुआ तथा मादक पदार्थ की बिक्री के कुल 21,210/- रुपए नकद बरामद हुए। शर्खस आशाराम के पास मादक पदार्थ अपने कब्जे में रखने बाबत कोई लाइसेंस व परमिट नहीं पाया गया। बाद मौका कार्यवाही मौके पर मुर्तिब फर्दात व गिरफ्तारशुदा अभियुक्त व जब्तशुदा मादक पदार्थ के थाने पहुंचकर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 27/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज रजिस्टर की गई। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट के अपराध का आरोप प्रमाणित पाए जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर

न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसको उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। हस्तगत प्रकरण में जब्ती अधिकारी द्वारा अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए कुल वजन 142.08 ग्राम की जब्ती अभियुक्त आशाराम से करना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में झूठा आलिप्त करने की गरज से अभियुक्त आशाराम से इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप पर सम्पर्क होने के आधार पर धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट का आरोपी बनाया है, जबकि तथाकथित बरामदगी से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई संबंध नहीं है। उपर्युक्त एमडीएमए से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई लेना-देना नहीं है, इस बाबत जांच अधिकारी को मौके पर ही बता दिया था लेकिन जांच अधिकारी ने प्रार्थी/अभियुक्त को मिथ्या तरीके से आलिप्त किया है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार कोई बरामदगी व अनुसंधान करना शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने का अंदेशा नहीं है एवं न ही उस पर गवाहान को बहकाने या डराने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त माफिक आदेश मौतबीर जमानत पेश करने के लिए तैयार है। अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्त को मौतबीर जमानत पर रिहा करने के आदेश बाबत निवेदन किया। उन्होंने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए:-

1. R/Criminal Misc. Application No. 1234/2022 Yash Jayeshbhai Champaklal shah Vs State of Gujrat, Order Date 02.03.2022
2. CRM-M- 39657 of 2020 (O & M) Vikrant Singh Vs State of Punjab, Date of Decision 06.04.2022
4. विद्वान विशिष्ट अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए बहस में निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में सहअभियुक्त आशाराम के कब्जे से मौके पर भारी वाणिज्यिक मात्रा में 142.08 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए बरामद हुआ है तथा अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया है। केस डायरी व स्वयं प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण के सहित कुल 14 आपराधिक प्रकरण लंबित है, जिनमें से 13 आपराधिक प्रकरण एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है। प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।
5. उभय पक्षों के तर्कों पर गौर किया गया एवं केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।
6. प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है, ऐसे में प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट का आरोप प्रमाणित माना गया है। **प्रकरण में भारी वाणिज्यिक मात्रा में प्लास्टिक की दो पारदर्शी थैलियों में, थैलियों सहित कुल वजन 142.08 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए बरामद** हुआ है। केस डायरी के साथ धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत प्रार्थी/अभियुक्त की इत्तिला संलग्न है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने परिचित श्रीराम विश्वोई को एमडीएमए का बेचान अपने रहवासी मकान पर ही किया था। सहअभियुक्त श्रीराम की धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत इत्तिला संलग्न केस डायरी है, जिसके अनुसार सहअभियुक्त प्रभूराम ने प्रार्थी/अभियुक्त प्रदीप विश्वोई से एमडीएमए

क्रय-विक्रय के लिए जोधपुर में मिलवाया था। धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की इत्तिलाओं के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त प्रदीप विश्रोई व श्रीराम बिश्रोई की निशानदेही से अवैध मादक पदार्थ क्रय-विक्रय घटनास्थल की तस्दीक की गई है, जिसकी फर्द तस्दीक मौका संलग्न केस डायरी है। फर्द विश्लेषण व जब्ती एक मोबाईल OPPO A 18 बकब्जा अभियुक्त श्रीराम के अनुसार अभियुक्त श्रीराम विश्रोई की अभियुक्त प्रदीप विश्रोई से व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार इनकमिंग, आउटगोइंग तथा चैटिंग के माध्यम से वार्ता हो रही है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त आशाराम से जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ अभियुक्त आशाराम द्वारा अभियुक्त श्रीराम से खरीदने, अभियुक्त श्रीराम द्वारा अभियुक्त प्रभूराम की मध्यस्था से प्रार्थी/अभियुक्त प्रदीप विश्रोई से खरीदने का आरोप है। केस डायरी व स्वयं प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध **हस्तगत प्रकरण सहित कुल 14 आपराधिक प्रकरण लंबित है, जिनमें से कुल 13 आपराधिक प्रकरण एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है।** ऐसे में प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी/अभियुक्त की अवैध मादक पदार्थ के खरीद-फरोख्त में संलिप्तता दर्शित होती है।

7. अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का यह तर्क कि प्रार्थी/अभियुक्त को सहअभियुक्त से इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप पर सम्पर्क होने के आधार पर 8/29 एनडीपीएस एक्ट का आरोपी बनाया गया है, तो प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इस स्तर पर सहअभियुक्तगण के सम्पर्क में रहने का अन्य कोई कारण रहा हो, ऐसा दर्शित नहीं किया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है।
8. अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता, बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ एमडीएम की भारी वाणिज्यिक मात्रा व प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के अपराध में संलिप्त होने के तथ्य आदि को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किये बगैर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

9. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त प्रदीप विश्रोई पुत्र पेमाराम विश्रोई, उम्र 40 वर्ष, निवासी विश्रोईयों की ढाणी, भाखरीवाला, पुलिस थाना रोहट, जिला पाली (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।
10. इस आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को उपलब्ध करवाने हेतु जरिए ई-मेल प्रभारी अधिकारी, जिला कारागृह, नागौर को अविलम्ब प्रेषित की जावें। केस डायरी लौटाई जावें।

(विक्रम साँखला)

विशिष्ट न्यायाधीश,

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम

(अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1), नागौर

11. आदेश आज दिनांक 13.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रम साँखला)

विशिष्ट न्यायाधीश,

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम

(अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1), नागौर